



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2022

जयपुर, दिनांक:- 24.06.2022


:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में खोले गये राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार (जयपुर) तथा राजकीय मूकबधिर महाविद्यालय, जयपुर में अनिवार्य विषय पर्यावरण व कम्प्यूटर को सम्मिलित मानते हुये निम्नानुसार विषय एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र.सं.	राजकीय महाविद्यालय	खोले जाने वाले संकाय मय विषय
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार (जयपुर)	कला संकाय (02 वर्ग) - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संगीत, गृहविज्ञान, संस्कृत विज्ञान संकाय (02 वर्ग) - प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र व गणित
2	राजकीय मूकबधिर महाविद्यालय जयपुर	कला संकाय (07 वर्ग)- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, लोकप्रशासन


इस संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(बृजमोहन नौमिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
4. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 4(15) आयो/आकाशि/विषय/2022/1643-51 दिनांक 27 जून, 2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये उक्त विषयों को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन, अकादमिक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
9. वेबसाईट प्रभारी कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/संबंधितों को ईमेल करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)